राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/2013/ दिनांक :

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय : जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2013–14 में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2013–14 में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग की विज्ञप्ति क्रमांकः प्रशि./जनप्र/2013/770 दिनांक : 13-12-13 की 10 प्रतियां संलग्न कर लेख है कि इनका राज्य के प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, राष्ट्रदूत, दैनिक नवज्योति के राज्य के सभी संस्करणों में शीघ्र प्रकाशन करवाने का श्रम करावे।

संलग्न– दस।

(कन्हैया लाल स्वामी)
अति. निदेशक (प्रशिक्षण)

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/2013/771 दिनांक : 13-12-13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –:

1. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. जिला पुलिस कमीश्नर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि काउंसलिंग स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक सुरक्षा बल तैनात कराने का श्रम करे।
5. थाना अधिकारी, पुलिस थाना, अशोक नगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि काउंसलिंग स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक सुरक्षा बल तैनात कराने का श्रम करे।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि काउंसलिंग स्थल पर चल शौचालय की व्यवस्था करावें।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पूर्व की भांति काउंसलिंग से संबंधित टेन्ट, कुर्सी, पानी, माईक आदि का पूर्ण इन्तजाम किया जाना सुनिश्चित करे।
8. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त काउंसलिंग के आशय के समाचार का प्रेस नोट समाचार पत्रो में प्रकाशित कराने का श्रम करे।
9. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रवेश हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति में किये गये संशोधन को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
10. सचिव/समन्वयक, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फैडरेशन, ई–277 लालकोठी योजना, जयपुर।
11. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फैडरेशन ऑफ जयपुर।
12. रक्षित/आदेश पत्रावली।

(कन्हैया लाल स्वामी)
अति. निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2013/ 770 दिनांक : 13.12.2013

– विज्ञप्ति –

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण कोर्स 2013–14 में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग कार्यक्रम

जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2013–14 में प्रवेश हेतु प्रथम काउसलिंग के बाद रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के लिए द्वितीय काउंसलिंग हेतु निम्न श्रेणी/वर्ग सम्मुख अंकित प्राप्तांक प्रतिशत तक के अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों तथा राजकीय नर्सिंग स्कूल में प्रवेश की स्थिती में 180 /– व निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश की स्थिती में 10,000/– का डी.डी. जो **"रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर" के नाम पर देय हो** सहित प्रशिक्षण केन्द्र आंवटन हेतु चयन समिति के सम्मुख **राजस्थान नर्सिंग कौंसिल भवन, बी–39 सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर** के यहां निम्नानुसार उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु

क्र.स.	श्रेणी/वर्ग	प्राप्तांक प्रतिशत	दिनांक
1.	**महिला व पुरूष** विकलांग (OL = एक पैर) एव विभागीय सेवारत कर्मचारी	बायलोजी विषय ग्रुप एवं अन्य विषय ग्रुप में अ.जा./अ.ज.जा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/सहरिया 35.00 प्रतिशत तथा सामान्य/ओबीसी/एसबीसी श्रेणी के 40.00 प्रतिशत तक प्राप्तांकों के समस्त विकलांग/सेवारत महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी। संबंधित श्रेणी विभागीय सेवारत एवं विकलांग कोटे की राजकीय केन्द्रों में रिक्त रही सीटों पर वे अभ्यर्थी जिनका राजकीय/निजी केन्द्रों में प्रवेश हो चुका है। सीट/संस्था पुर्नआवंटन हेतु काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।	18.12.2013
2.	**सामान्य महिला** अजा./अजजा./ टीएसपी –एससी/टीएसपी– एसटी /सहरिया/अपिव./ विपिव. सहित सामान्य महिला अभ्यर्थी	बायलोजी विषय ग्रुप 70.200 प्रतिशत प्राप्तांक तक की सभी अजा./अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/ सहरिया/अपिव./विपिव. सहित सामान्य महिला अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में नही आ पाये थे/जिनका प्रवेश अभी तक नही हुआ है। **वह अभ्यर्थी जिनका प्रवेश राजकीय/निजी संस्थाओं में हो चुका है, परन्तु संस्था का पुर्नआवंटन चाहते है। (केवल राजकीय संस्था हेतु)** सीट रिक्त रहने की स्थिती में 68.800 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।	18.12.2013
3.	**महिला ओबीसी/एसबीसी**	बायलोजी विषय ग्रुप 70.000 प्रतिशत प्राप्तांक तक की सभी ओबीसी/एसबीसी महिला अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में नही आ पाये थे/जिनका प्रवेश अभी तक नही हुआ है। **वह अभ्यर्थी जिनका प्रवेश राजकीय/निजी संस्थाओं में हो चुका है, परन्तु संस्था का पुर्नआवंटन चाहते है। (केवल राजकीय संस्था हेतु)** सीट रिक्त रहने की स्थिती में 64.200 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।	19.12.2013
4.	**अजा.महिला** अजा – टीएसपी महिला	बायलोजी विषय ग्रुप 65.000 प्रतिशत प्राप्तांकतक एससी/एससी– टीएसपी सहित महिला अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में नही आ पाये थे/जिनका प्रवेश अभी तक नही हुआ है। **वह अभ्यर्थी जिनका प्रवेश राजकीय/निजी संस्थाओं में हो चुका है, परन्तु संस्था का पुर्नआवंटन चाहते है।(केवल राजकीय संस्था हेतु)** सीट रिक्त रहने की स्थिती में 59.385 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।	19.12.2013
5.	**अजजा.महिला** अजजा – टीएसपी महिला /सहरिया महिला	बायलोजी विषय ग्रुप 56.800 प्रतिशत तक के समस्त अजजा. (टीएसपी व सहरिया सहित) महिला अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में नही आ पाये थे/जिनका प्रवेश अभी तक नही हुआ है। **वह अभ्यर्थी जिनका प्रवेश राजकीय/निजी संस्थाओं में हो चुका है, परन्तु संस्था का पुर्नआवंटन चाहते है।(केवल राजकीय केन्द्र हेतु)** सीट रिक्त रहने की स्थिती में 54.200 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।	19.12.2013

6.	**सामान्य पुरूष** अजा./अजजा./ टीएसपी – एससी /टीएसपी – एसटी/सहरिया/ अपिव. /विपिव. सहित सामान्य पुरूष अभ्यर्थी	बायलोजी विषय ग्रुप 76.200 प्रतिशत तक प्राप्तांको के अजा. /अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी सहरिया / अपिव./विपिव. सहित सामान्य वर्ग के समस्त पुरूष अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में नही आ पाये थे/जिनका प्रवेश अभी तक नही हुआ है। **वह अभ्यर्थी जिनका प्रवेश राजकीय/निजी संस्थाओं में हो चुका है, परन्तु संस्था का पुर्नआवंटन (मात्र राजकीय संस्था हेतु) चाहते है।** सीट रिक्त रहने की स्थिती में 75.200 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।	19.12.2013
7.	**अन्य पिछडा वर्ग** (विशेष पिछडा वर्ग – सहित) पुरूष अभ्यर्थी	बायलोजी विषय ग्रुप 76.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के अपिव. (विपिव सहित) के पुरूष अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में नही आ पाये थे/जिनका प्रवेश अभी तक नही हुआ है। **वह अभ्यर्थी जिनका प्रवेश राजकीय/निजी संस्थाओं में हो चुका है, परन्तु संस्था का पुर्नआवंटन (मात्र राजकीय संस्था हेतु) चाहते है।** सीट रिक्त रहने की स्थिती में 72.308 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।	19.12.2013
8.	**एससी** एससी/एससी–टीएसपी पुरूष अभ्यर्थी	बायलोजी विषय ग्रुप 73.200 प्रतिशत तक प्राप्तांको के अजा. (टीएसपी सहित) वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में नही आ पाये थे/जिनका प्रवेश अभी तक नही हुआ है। **वह अभ्यर्थी जिनका प्रवेश राजकीय/निजी संस्थाओं में हो चुका है, परन्तु संस्था का पुर्नआवंटन (मात्र राजकीय संस्था हेतु) चाहते है।** सीट रिक्त रहने की स्थिती में 70.200 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।	19.12.2013
9.	**एसटी/एसटी–टीएसपी** एसटी एसटी–टीएसपी सहरिया पुरूष अभ्यर्थी	बायलोजी विषय ग्रुप 67.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एसटी/एसटी–टीएसपी व सहरिया वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में नही आ पाये थे/जिनका प्रवेश अभी तक नही हुआ है। **वह अभ्यर्थी जिनका प्रवेश राजकीय/निजी संस्थाओं में हो चुका है, परन्तु संस्था का पुर्नआवंटन चाहते है।** सीट रिक्त रहने की स्थिती में 66.000 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।	19.12.2013
		निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु	
1.	**सामान्य महिला** अजा./अजजा./ टीएसपी–एससी/ टीएसपी–एसटी/ सहरिया/अपिव./विपिव. सहित सामान्य महिला अभ्यर्थी	बायलोजी व अन्य विषय ग्रुप 40.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के (अजा./अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/ सहरिया/ अपिव./विपिव. सहित सामान्य महिला अभ्यर्थी।) जो प्रथम काउंसलिंग में नही आ पाये। जिन्होनें अभी तक कही प्रवेश नही लिया है।	20.12.2013
2.	**ओबीसी महिला** ओबीसी/एसबीसी सहित	बायलोजी व अन्य विषय ग्रुप 40.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के ओबीसी (एसबीसी सहित) महिला अभ्यर्थी। जो प्रथम काउंसलिंग में नही आ पाये। जिन्होनें अभी तक कही प्रवेश नही लिया है।	20.12.2013
3.	**विशेष पिछडा वर्ग महिला अभ्यर्थी**	बायलोजी व अन्य विषय ग्रुप 40.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के विशेष पिछडा वर्ग के महिला अभ्यर्थी। जो प्रथम काउंसलिंग में नही आ पाये। जिन्होनें अभी तक कही प्रवेश नही लिया है।	20.12.2013
4.	**अजा. महिला,** एससी/एससी–टीएसपी	बायलोजी व अन्य विषय ग्रुप 35.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के अजा. व एससी–टीएसपी महिला अभ्यर्थी।	20.12.2013
5.	**एससी–टीएसपी महिला** एससी–टीएसपी	बायलोजी व अन्य विषय ग्रुप 35.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एससी–टीएसपी व महिला अभ्यर्थी।	20.12.2013
6.	**एसटी महिला** एसटी/(एसटी–टीएसपी)/सहरिया सहित	बायलोजी व अन्य विषय ग्रुप 35.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एसटी/एसटी–टीएसपी/**सहरिया सहित महिला अभ्यर्थी।** जो प्रथम काउंसलिंग में नही आ पाये। जिन्होनें अभी तक कही प्रवेश नही लिया है।	20.12.2013

7.	एसटी–टीएसपी महिला/सहरिया सहित महिला अभ्यर्थी	बायलोजी व अन्य विषय ग्रुप 35.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एसटी–टीएसपी महिला/सहरिया सहित महिला अभ्यर्थी।	20.12.2013
8.	**सामान्य पुरूष** अजा./अजजा./ टीएसपी–एससी/ टीएसपी–एसटी/ सहरिया/अपिव./ विपिव. सहित सामान्य पुरूष अभ्यर्थी	बायलोजी विषय ग्रुप 55.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के (अजा./अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/सहरिया/अपिव./विपिव. सहित) सामान्य पुरूष अभ्यर्थी। जो प्रथम काउंसलिंग में नही आ पाये/सीट चयन नही की। जिन्होनें अभी तक कही प्रवेश नही लिया है।	21.12.2013
9.	**अन्य पिछडा वर्ग पुरूष विशेष पिछडा वर्ग सहित**	बायलोजी विषय ग्रुप 40.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के अपिव./विपिव सहित पुरूष अभ्यर्थी।	23.12.2013
10.	**अजा.पुरूष** (एससी/एससी–टीएसपी सहित)	बायलोजी विषय ग्रुप 35.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एससी/एससी–टीएसपी सहित पुरूष अभ्यर्थी।	23.12.2013
11.	**एसटी पुरूष** एसटी/एसटी–टीएसपी सहित	बायलोजी विषय ग्रुप 35.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एसटी/एसटी–टीएसपी/ सहरिया सहित पुरूष अभ्यर्थी। अन्य विषय ग्रुप 57.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एसटी–टीएसपी पुरूष अभ्यर्थी।	23.12.2013

40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता प्राप्त अभ्यर्थी (वन लेग अर्थात् केवल एक पैर से निःशक्त) ही पात्र है। अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थी के प्रकरण में पिता के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा, पति के नाम का नही ।

इसी के साथ वे अभ्यर्थी जिन्होनें किसी राजकीय, निजी संस्थान में प्रवेश ले लिया हो परन्तु केन्द्र परिवर्तन करना चाहते हो। केवल राजकीय केन्द्र में रिक्त सीट उपलब्ध होने पर पुनर्चयन (Revised option) द्वारा परिवर्तित सीट आंवटित करा सकेंगे। प्राईवेट सीट हेतु पुनर्चयन का अवसर नही दिया जा सकेगा। एक बार सीट चयन करने आवंटन पत्र जारी करने एवं फीस जमा करने के पश्चात् केन्द्र परिवर्तन करना किसी भी स्थिति में संभव नही होगा। राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में उक्त तालिका में दर्शित प्राप्तांक प्रतिशत तक प्रथम काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों से उपर के प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहे हो या आंवटन हो जाने के बाद ज्वाईन नही किया हो या किसी केन्द्र विशेष के लिए प्रतीक्षा सूची का प्रथम काउंसलिंग में विकल्प दिया हो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउंसलिंग में उपस्थित होवें।

निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिए उपरोक्त प्राप्तांक प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक वाले ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हो या आवंटित केन्द्र पर ज्वाईन नही किया हो या किसी केन्द्र विशेष के लिए विकल्प दिया हो, द्वितीय काउंसलिंग में प्रवेश पा सकेंगे।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 16.01.91 के नियम 8(5) के अनुसार जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध है और अभ्यर्थी को प्रवेशित संस्थान पर ही प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में प्रशिक्षण छोडने वाले अभ्यर्थी को जमा अग्रिम शुल्क लौटाया नही जायेगा।

राजकीय जीएनएम स्कूल में प्रवेशित अभ्यर्थी को निर्धारित रू. 180/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर** के नाम देय होंगे, जमा करवाना होगा साथ ही अपने मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों को मौके पर ही संबधित प्रधानाचार्य को उपस्थिति देते समय जमा करवाना होगा।

स्ववित पोषित योजना के अन्तर्गत मेडिकल रिलिफ सोसायटी, द्वारा जिला स्तरीय चिकित्सालय चित्तौडगढ में संचालित सांवलिया जी जीएनएम स्कूल में प्रवेशित अभ्यर्थियों को निर्धारित रू0 50,000/– वार्षिक फीस में से फीस अग्रिम राशि पेटे रू. 10,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर** के नाम देय हो, जमा कराना होगा तथा शेष रू. 40,000/– अपने मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के सथ प्रशिक्षण में उपस्थिती देते समय प्रधानाचार्य उक्त जीएनएम स्कूल को जमा करवाना होगा।

इसी प्रकार निजी जीएनएम स्कूल में प्रवेशित अभ्यर्थी को निर्धारित रू. 50,000 /– वार्षिक फीस में से फीस अग्रिम राशि पेटे रू. 10,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर** के नाम देय हो, जमा कराना होगा तथा शेष रू. 40,000/– अपने मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के साथ प्रशिक्षण में उपस्थिती देते समय प्रधानाचार्य संबंधित निजी जीएनएम स्कूल को जमा करवाना होगा।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशिक/दिशा निर्देशों में जिन शिक्षा बोर्ड/संस्थान/परीक्षा को समकक्ष मान्यता नही है, ऐसे शिक्षा बोर्ड/संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी चयन के पात्र नही है, इसलिये काउंसलिंग मे उपस्थित नही होवें।

राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु निर्धारित राजकीय कोटे की सीटो की संख्या के (राजकीय/निजी मे 5–10 गुणा) अभ्यर्थियो को उक्त काउंसलिंग हेतु बुलाया गया है, अतः आवश्यक नही है कि बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों का चयन संभव हो। राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की किसी श्रेणी/वर्ग में सीटे भरते ही या अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी को निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु काउंसलिंग शुरू कर दी जावेगी। काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का भत्ता देय नही होगा।

काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन का विस्तृतकार्यक्रम, सीटों की संख्या विभागीय बेवसाईट पर देखी जा सकेगी, प्रतिदिन काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रही सीटों का विवरण प्रतिदिन सांयकाल विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगा।

(कन्हैया लाल स्वामी)
अति0 निदेशक (प्रशा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर